

संख्या:- 5/50 / 111(2)/10-18(प्रा0आ0)/2010

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 16 अगस्त, 2010

राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों के लिए यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरण में उल्लिखित 164 कार्यों, के निर्माण पर अनुमोदन देते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वर्णन, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि कार्य टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रु0 2736.01 लाख (रु0 सत्ताईस करोड़ एक हजार मात्र) पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रति कार्य लाख अर्थात् कुल रु0 1.64 लाख (रु0 एक लाख चौसठ हजार मात्र) के व्यय किये जाने की शर्तों पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। उपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:- 1764 / 111(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2008 के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। उपरान्त परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के रीडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का व्यय दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

6. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में अन्य पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047 / XIV-219(2006) दिनांक 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करने के समय कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

34/11/10

सहायक अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

सलग्नकः यथोपरि ।

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 5- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
- 6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 8- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
- 10- गार्ड बूक।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
राजीव

R.No-3707/1AC Dt. 7-9-10

पतिलिपि निम्न के सूचना एवं आवश्यक जानकारी

(५) निहायत अभियन्ता III / प्रमाण दत्त छत्राचार्य / म.मा.

(3) कनिष्ठ अभियन्ता (अ) (ब) की प्राप्ति करी. (ग) का. लक्ष्य

७ वन भूमि सहामक

6) श्री पी.पी. निकोटी / श्री एस.पी.एस. ने / उह / श्री जगदीश सिंह

8/9/70 7.9.11

3707

सं. 5150

9-15

सं. 5150 (1)/111(2)/10-18(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 16 अगस्त, 2010 का संलग्नक

कार्य का नाम

लम्बाई
(किमी०/मी०)प्रथम चरण
हेतु अनुमोदित
(लाख में)वित्तीय वर्ष
2010-11 में व्यय
हेतु स्वीकृत धनराशि
(लाख में)

अल्मोडा में विकासखण्ड भिकियारौण के अन्तर्गत पंतगाँव-चमड़खान मोटर मार्ग का विस्तार (सिमलधार से शैलापानी तक मिलान)

4.50

56.70

0.01

अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र भिकियारौण के अन्तर्गत बसई से अगासपुर राज रो मसोड मिलान तक मोटर मार्ग का निर्माण

4.50

56.70

0.01

अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र भिकियारौण के अन्तर्गत बाजखेत-रामसिंह किचार-ढैया किचार-बावड़ी किचार को बाजखेत मो0 मार्ग का निर्माण।

5.50

69.30

0.01

अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र भिकियारौण के अन्तर्गत रतखेत से मो0 मार्ग का निर्माण।

2.00

25.20

0.01

अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र भिकियारौण के अन्तर्गत गचुलाखाल रोड से शहीद गाँव भेलीपार मिलान के मोटर मार्ग का

1.00

12.60

0.01

अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र भिकियारौण के अन्तर्गत देघाट-खाल से चन्धरखाडी-कलियालिगुड होते हुए झीपा बैंड मिलान हेतु का निर्माण।

2.50

31.50

0.01

अल्मोडा में विकासखण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बकरीगाड से हणी-तल्ली बिठोली-बयेणा मोटर मार्ग का नव निर्माण

10.00

126.00

0.01

अल्मोडा में विकासखण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत रा0राजमार्ग सं0- 87 से मोटर मार्ग का द्वाराहाट तक विस्तारीकरण।

6.00

75.60

0.01

अल्मोडा में विकासखण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत कफडा-किरौली मोटर मल्ली मिरई तक विस्तार।

3.50

44.10

0.01

गोश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत असौ से बसकूना तक मो0 मोटर मार्ग +2 नं0 सेतु के नव निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगमन।

4.00 + 2
सेतु

53.20

0.01

गोश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत तल्ला भन्तोली से 3.00 किमी० मोटर मार्ग + 1 सेतु के नव निर्माण का प्रारम्भिक

3.00 + 1
सेतु

39.90

0.01

गोश्वर में महरूडी/स्याकोट से पठक्यूडा तक 3.00 किमी० मोटर प्रारम्भिक आगमन।

3.00

37.80

0.01

पोड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत से रखूण सिमल्यासू होते हुये कुण्डाधार जोड़ने हेतु मोटर निर्माण

6.00

75.66

0.01

पोड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत पुण्डेरी रामपुर होते हुये त्वाली-कालेश्वर मोटर मार्ग हेतु मोटर मार्ग का निर्माण

4.00

50.40

0.01

पोड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत ल-सैली सेनार मोटर मार्ग का निर्माण

2.00

25.20

0.01

पोड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत न-गुदेथ(हास्पिटल) से थापला मोटर मार्ग का निर्माण

2.50

31.50

0.01

पोड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत धार से गेण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण

2.00

25.20

0.01

पोड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत खाल गैठी छेड़ा मोटर मार्ग से गहादेव बस्ती तक तथा फ जोडघने के लिये सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य

0.50 +
10 M

6.30

0.01

पोड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत न देहलचौर से क्याक नव निर्माण नेत्र चिकित्सालय तक रण का कार्य

2.00

0.42

0.01

3707

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०

गान्धी